प्रकरण 28/2023

रमेश / शंकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.7.2024	पत्रावली पेश हुयी प्रार्थी अप्रार्थी वकील उपस्थित प्रार्थी वकील ने पृथक काउंटर प्रार्थना पत्र पेश किया नकल अप्रार्थी वकील को दिलायी गयी पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 5-8-2024 को पेश हो।	
5.8.24	पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित आये। प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता वादी/प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी 526 का विभाजन अर्थात विभाजन नहीं हुआ है। पंजीयन हो जाने से मेरे हित प्रभावित नहीं होते। अतः विभाजन होने तक उक्त आराजी पर विरुद्ध अप्रार्थी निषेधाज्ञा फरमावे कि अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण न करे और न ही किसी प्रकार से कब्जे में बाधा उत्पन्न करे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि हमने 15/2/1994 को नामे रजि. क्रय पत्र उक्त आराजी की जमीन खरीदी तत्समय से हम काबिज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। हमने प्रार्थना-पत्र - जवाब प्रा.पत्र एवं पत्रावली पर संलग्न तमाम दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन कर अध्ययन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जाहिर हुआ कि अप्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी का भाग "उत्तर दिशा का है व दक्षिण दिशा की 111)3 बिस्वा भूमि सहखातेदार पेमली नवजे काबिज काश्त का है" जो पंजीयन दस्तावेज के पेज नं. 3 पर अंकित है। चूंकि वादग्रस्त आराजी खा.नं. 526 अविभाजित था/अविभाजित आराजी का सहखातेदार हिस्से का बेचान तो कर सकता है परन्तु किसी specific भाग का बेचान नहीं कर सकता जब तक कि पंजीयन दस्तावेज में अन्य सहखातेदार की सहमति न हो। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी एक अजनबी क्रेता की श्रेणी में शुमार होता है। वह अपना कब्जा तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं करवा लेता। निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी नं. 1 को वादग्रस्त आराजी पर तफसीला मुतनाजा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वो वादग्रस्त आराजी पर न तो निर्माण करे और न ही कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करे और न ही	

016068

मु०नं० 23/2023
प्रेमवती / शंकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पैरवी मय से करावें। पत्रावली फैसला मुन्सरिम के बस्ता से तलब की जाकर दाखिल दफ्तर हो निर्णय लिखा जाकर बरे इजलास सुनाया गया। [signature]	